

FORM No. III

फर्द अहकाम
(नियम २६)



सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) खण्डेला

.....इ.नुमान.पु.सा.ड...... बनामश्रीमिथारी तहसीलदार खण्डेला.....
दावा - धोषणा..... मुकदमा नं. 36 सन् २०२१

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
<p><u>०१/३/२०२१</u> वकील बन्दीमम/वादी श्री <u>लखनत कुमार</u> ने हाजिर अदालत होकर वादपत्र पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण की तलवी जरिए सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक <u>२२/३/२०२१</u> को पेश हो। पुनश्चम <u>श्रीमिथारी तहसीलदार खण्डेला</u> को तहरीर जारी हो। वास्ते पेश होने जवाब <u>श्रीमिथारी तहसीलदार खण्डेला</u> पत्रावली दिनांक <u>२२/३/२०२१</u> को पेश हो।</p>	<p><u>७३३</u> <u>०१-०३-२०२१</u></p>
<p><u>२२/३/२१</u> पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिफेन उप./उजुमवित्ता पीठासीन अधिकारी दौरे /अन्य दफ्त में खसत पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक <u>०८/५/२०२१</u> को पेश हो।</p>	
<p><u>०८/५/२१</u> पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिफेन उप./उजुमवित्ता पीठासीन अधिकारी दौरे /अन्य दफ्त में खसत पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक <u>१५/५/२१</u> को पेश हो।</p>	
<p><u>१५/५/२१</u> पत्रावली पेश हुई। वकील वारी उप. तहसीलदार खण्डेला से प्राप्त बिन्दुवार जवाब को अभिलेख पर लिखा जाता है। वकील वारी ने स्थावेजातों की सूची मय स्थावेजात कुल क्रमा-५ पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये। तत्पश्चात प्रकरण</p>	

में वदस वकील वाही सुनी गयी। वरवस्त
वदस वकील वाही ने अपने वादपत्र में
अंकित तथ्यों को दोहराते हुये भुतबिन्दु
अनुलोम दावा डिक्री फरमाये जाने का
निवेदन किया।

फावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,
दस्तावेजात, भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला का
बिन्दुवार जवाब, सरपंच गांव पं. द्वारा जारी
प्रमाण पत्र, मुख्यपरीक्षण हेतु पेशशुदा शपथ
पत्रों आदि का अपलोकन किया गया एवं
वदस वकील वाही पर सगौर मनन किया
गया। • हुंकि वाही के दस्तावेजात तथा पद्वत
पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक
आदि में वास्तविक नाम अनुमान प्रसाद ही
दर्ज है। सरपंच गांव पं. सुजाना द्वारा
जारी प्रमाण पत्र तथा भूमिधारी तहसीलदार
खण्डेला के बिन्दुवार जवाब में भी उक्त
दुरुस्ती हेतु अभिशंका की गयी है। अतः
उक्त समस्त तथ्यों के मध्यमजर वाद, वाही
स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती
है कि :-

आदेश

तनगाम समर्थपुरा पठ हठ सुजाना तहसील
खण्डेला जिला सीकर राज. अवस्थित भूमि
भूमि खं. नं. 149 ता 158, 160, 481, 483,
484 के राजस्व रिकार्ड में वाही का गलत
दर्ज नाम " धमण्डाराम पुत्र परसा " के स्थान



सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की ताली
में जारी हुए

पर वास्तविक सही व सम्मानजनक नाम
" हनुमान प्रसाद पुत्र परसाराम " दुरुस्त किया
जाता है। उम्मानुसार राजस्व रिकर्ड में अमल
धरामत हो। तदनुसार प्रकरण में पर्चा डिफ़ी
जारी हो। पञ्चावली कैसल शुमार होकर नम्बर
से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर
हो। यह निर्णय आज दिनांक 15/5/2021 को
शुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रविश कुमार)

RAS

सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर

(फारुख) खण्डला

